रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15122021-231862
CG-DL-E-15122021-231862

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 697] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 14, 2021/अग्रहायण 23, 1943
No. 697] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 14, 2021/AGRAHAYANA 23, 1943

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2021

सा.का.नि. 856(अ).—केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खान (खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) नियम, 2015 का संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खान (खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) दूसरा संशोधन नियम, 2021 है।

(2) ये शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खान (खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) नियम, 2015 (इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 7 में, उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियमों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(1क) किसी क्षेत्र पर संयुक्त अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का इच्छुक कोई व्यक्ति, संयुक्त अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए नीलामी के लिए क्षेत्र की अधिसूचना के लिए उपलब्ध भू-विज्ञान डेटा के साथ-साथ अनुसूची III में विनिर्दिष्ट रुपविधान में राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है।

(1ख) उपलब्ध भू-विज्ञान डेटा के आधार पर किसी ब्लॉक की खनिज संभावना की पहचान करने के लिए जहां उप-नियम (1) के खंड (क) में यथा उल्लिखित संसाधनों को अभी तक स्थापित किया जाना है, उप-नियम (1क) के अधीन, किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रस्तावित कोई ब्लॉक सहित, राज्य सरकार इसे निम्नलिखित सदस्यों वाली समिति के समक्ष रखेगी:—

(क) राज्य सरकार के खनन और भूविज्ञान विभाग (जो भी नाम हो) में प्रधानसचिव या सचिव - अध्यक्ष;

(ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के उप महानिदेशक - सदस्य;

(ग) राज्य सरकार के खनन और भूविज्ञान विभाग (जो भी नाम हो) में निदेशक - सदस्य सचिव।

(1ग) क्षेत्र की खनिज संभावना का समाधान होने पर, समिति नीलामी की अधिसूचना के लिए क्षेत्र की सिफारिश इसमें यथा अपेक्षित ऐसे परिवर्तन के साथ कर सकती है।

(1घ) समिति प्रस्ताव की राज्य सरकार में उसकी प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर सिफारिश करेगी या इसे अस्वीकार करेगी और उसके बाद राज्य सरकार ऐसी सिफारिश के साठ दिनों के भीतर नीलामी के लिए अनुशंसित ब्लॉक को अधिसूचित करेगी या सिफारिश को अस्वीकार करेगी।

3. उक्त नियमों में, अनुसूची II के पश्चात, निम्नलिखित अनुसूची को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"अनुसूची III

[नियम 7(1क) देखें]

संयुक्त अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए किसी क्षेत्र की नीलामी के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने का रुपविधान

सेवा में,

निदेशक,

खनन और भूविज्ञान विभाग,

——सरकार [राज्य सरकार के नाम का उल्लेख करे[

महोदया/महोदय,

खान (खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) नियम, 2015 के नियम 7 के उप-नियम (1क) के उपबंधो के अधीन, मैं/हम क्षेत्र के संबंध में संयुक्त अनुज्ञप्ति की नीलामी के लिए राज्य सरकार के विचारार्थ क्षेत्र का निम्नलिखित ब्यौरा और अन्य विवरण प्रस्तुत कर रहा हूं/रही हूं/रहे हैं। निवेदन है कि मैं/हम उक्त क्षेत्र के संबंध में संयुक्त अनुज्ञप्ति की नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक हूं/हैं।

1. आवेदक का नाम और पता

(क)	नाम:	
(ख)	डाक का पता:	
(ग)	दूरभाष संख्या (कार्यालय):	
(घ)	फैक्स नंबर (कार्यालय):	
(ड.)	मोबाइल नंबर:	
(च)	दूरभाष संख्या (आवास):	
(छ)	ई-मेल पता:	

2. नीलामी के लिए प्रस्तावित क्षेत्र का स्थान विवरण

(क)	राज्य	
(ख)	जिला	

(ग)	निकटस्थ गांव	
(घ)	भारतीय सर्वेक्षण (एसओआई) टोपोशीट संख्या	
(ड.)	क्षेत्र वर्ग किमी. में	
(च)	प्रस्तावित ब्लॉक के सीमा निर्देशांक (दशमलव डिग्री में)	

3. क्षेत्र की खनिज संभावना

(क)	क्षेत्र/ब्लॉक में चिह्नित/प्रत्याशित खनिज (खनिजों) का नाम	
(ख)	क्षेत्र में किस आधार पर खनिज संभावना की पहचान की गई है	
(ग)	उपर्युक्त मद (ख) के समर्थन में विश्वसनीय दस्तावेजों और संदर्भों की सूची।	

4. आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज

i) भारतीय सर्वेक्षण (एसओआई) टोपोशीट संख्या पर सीमांकित प्रस्तावित ब्लॉक की अवस्थिति।

ii) उपर्युक्त मद 3 (ग) में उल्लिखित दस्तावेज।

स्थानः

तारीख:

आवेदक का हस्ताक्षर"।

[फा. सं.एम.VI-16/97/2020-खान VI]

डॉ. वीणा कुमारी डरमल, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- खान (खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) नियम, 2015 को संख्यक सा.का.नि. 304 (अ) तारीख 17 अप्रैल, 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और उसे अंतिम बार संख्यक सा.का.नि. 421 (अ) तारीख 18 जून, 2021 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th December, 2021

G.S.R. 856(E).—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Minerals (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015, namely:—

1. (1) These rules may be called the Minerals (Evidence of Mineral Contents) Second Amendment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Minerals (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 7, after sub-rule (1), the following sub-rules shall be inserted, namely:—

"(1A) Any person intending to obtain composite licence in respect of an area may submit a proposal to the State Government in the format specified in Schedule III along with available geoscience data for notification of the area for auction to grant a composite licence.

(1B) In order to identify mineral potentiality of a block based on the available geoscience data where resources are yet to be established as referred in clause (a) of sub-rule (1), including in any block proposed by any person under the sub-rule (1A), the State Government shall place it before a committee consisting of the following members:—

(a) Principal Secretary or Secretary in the Mining and Geology Department of State Government (by whatever name called) – Chairman;

(b) Deputy Director General of Geological Survey of India – Member;

(c) Director in the Mining and Geology Department of State Government (by whatever name called) – Member Secretary.

(1C) On being satisfied of mineral potentiality of the area, the committee may recommend the area for notification for auction with such alteration in it as may be required.

(1D) The committee shall recommend or reject the proposal within sixty days of its receipt in the State Government and thereafter the State Government shall notify recommended block for auction or reject the recommendation within sixty days of such recommendation.".

3. In the said rules, after Schedule II, the following schedule shall be inserted, namely:—

"SCHEDULE III

[*See* rule 7(1A)]

FORMAT FOR SUBMITTING PROPOSAL FOR AUCTION OF AN AREA FOR GRANT OF COMPOSITE LICENCE

To,

The Director,
Mining and Geology Department,
Government of ___ [*mention name of State Government*]
Madam/ Sir,

Under the provision of sub-rule (1A) of rule 7 of the Minerals (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015, I/we am/are submitting the following details and other particulars of the area for consideration of the State Government for auction of composite licence in respect of the area. It is submitted that I/we intend to participate in auction of composite licence in respect of the said area.

1. Name and Address of the Applicant

(a)	Name:	
(b)	Postal address:	
(c)	Telephone Number (Office):	
(d)	Fax number (Office):	
(e)	Mobile No.:	
(f)	Telephone Number (Residence):	
(g)	E-Mail address:	

2. Location Details of the Area Proposed for Auction

(a)	State	
(b)	District (s)	

(c)	Nearby Village(s)	
(d)	Survey of India (SOI) Toposheet (s) No.	
(e)	Area in sq. km.	
(f)	Boundary coordinates of the proposed block (in Decimal degree)	

3. Mineral Potential of the Area

(a)	Name of Mineral(s) identified/ expected in the area/ block	
(b)	Basis on which mineral potential in the area has been identified	
(c)	List of documents and references relied upon in support of item (b) above.	

4. Documents to be enclosed with the application

i) Location of the proposed block demarcated on Survey of India (SOI) Toposheet No.

ii) Documents mentioned in item 3(c) above.

Place

Date Signature of Applicant".

[F. No. M.VI-16/97/2020-Mines VI]

Dr. VEENA KUMARI DERMAL, Jt. Secy.

Note:-The Minerals (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015 were published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R.304(E), dated the 17th April, 2015 and lastly amended *vide* number G.S.R. 421 (E), dated the 18th June, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.12.15 11:33:23 +05'30'